न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

न्यायालय अधिकारीः– मुकेश कुमार कलाल, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 71/2010

तारीख दायरा–09.08.2010

तारीख निर्णय–12.05.2017

1. श्री हजारीमल पिता धुलीजी नागदा ब्राहमण निवासी ब्राहमणों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा।

.....वादी

बनाम

1. श्री मोहनलाल पिता श्री हीरालाल नागदा ब्राहमण निवासी ब्राहमणों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा।
2. श्री रविशंकर पिता श्री हीरालाल नागदा ब्राहमण निवासी ब्राहमणों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा।
3. श्री बाबुलाल पिता श्री हीरालाल नागदा ब्राहमण निवासी ब्राहमणों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा।
4. श्रीमती धुलीबाई बेवा श्री हीरालाल नागदा ब्राहमण निवासी ब्राहमणों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा।
5. श्रीमती कंकुबाई पत्नी श्री शांतिलाल नागदा ब्राहमण निवासी ब्राहमणों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा।
6. श्रीमती चलुबाई पत्नी श्री मोहनलाल नागदा ब्राहमण निवासी ब्राहमणों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा।
7. श्री भैरा पिता खमाणिंग नागदा ब्राहमण निवासी ब्राहमणों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा।
8. श्री डालुराम पिता तुलसीराम नागदा ब्राहमण निवासी ब्राहमणों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा।
9. श्री कन्हैयालाल पिता श्री जवानिंग नागदा ब्राहमण निवासी ब्राहमणों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा।
10. मु. वरदी बेवा श्री जवानिंग नागदा ब्राहमण निवासी ब्राहमणों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा।
11. श्री बाबुलाल पिता श्री राधाकिशन नागदा ब्राहमण निवासी ब्राहमणों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा।
12. श्री सोहनलाल पिता श्री राधाकिशन नागदा ब्राहमण निवासी ब्राहमणों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा।
13. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– वादी स्वयं

प्रतिवादी की ओर से– एक तरफा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा ब्राहमणों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा में वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं अधिपत्य की कृषि भूमि स्थित है, जिसके खाता संख्या 454, 204, 207, 208, 209, 253 व 256 है। वादी एवं प्रतिवादगण के सजरा खानदान में मूल पुरूष धुला पिता खीमाजी थे। धुलाजी के दो पुत्र हीरालाल व हजारीमल हुए। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 हीरालाल के वारिस है। हजारीमल वादी है। वादग्रस्त आराजियात मौरूसी सम्पति होकर पूर्व श्री धुलाजी के नाम पर दर्ज थी। श्री हीरालाल स्व. धुलाजी के बडे पुत्र होने से स्व. धुलाजी के फोत होने के बाद उनके नाम पर दर्ज समस्त भूमि स्व. हीरालाल के नाम पर दर्ज कर दी व वादी का नाम दर्ज होने से रह गया, जबकि मौके पर धुलाजी की जमीन के 1/2 हिस्से पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में वादी को स्व. धुलाजी की जमीन जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम पर दर्ज है, के 1/2 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिकी पारित फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान शिविर ब्राहमणों का कलवाणा में पेश हुई वादी स्वयं उपस्थित। प्रतिवादीगण के विरूद्व दिनांक 02.06.2010 को ही एक तरफा कार्यवाही के आदेश हो चुके है। आज शिविर मे उपस्थित होने हेतु भी दुबारा नोटिस जारी किये गये थे, परन्तु आज भी प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे है। वादी उपस्थित जिन्होने वही कथन कहे है, जो अपने वाद पत्र में अंकित किये है। वादी के उक्त कथनों की ताईद शिविर में उपस्थित मजमे आम द्वारा भी की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजियात के 1/2 हिस्से पर वादी काबिज है। वादी हजारीमल एवं श्री हीरालाल दोनो सगे भाई होकर स्व. धुलाजी के वारिस है। श्री हीरालाल बडे पुत्र होने से धुलाजी की मृत्यु के बाद भूमि हीरालाल के नाम पर दर्ज हो गई एवं वादी हजारीमल का नाम दर्ज होने से रह गया। अतः प्रस्तुत मौका पर्चा एवं मजमे आम के कथनों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा ब्राहमणों का कलवाणा पटवार क्षेत्र ब्राहमणों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2055 से 2058 के खाता संख्या 454

व वर्णित आराजियात किता 13 कुल रकबा 0.5150 है0 भूमि के 1/2 हिस्से का वादी हजारीमल पिता धुला को खातेदार घोषित किया जाता है। शेष हिस्सा पूर्व खातेदार के कायम रहेगा। इसी प्रकार खाता संख्या 204, 207, 208, 209, 253 व 256 में वर्णित आराजियात में हीरालाल पिता धुला के नाम पर जो भी हिस्सा दर्ज है, उसके 1/2 हिस्से का वादी हजारीमल पिता धुलाजी नागदा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खातों में वर्णित भूमि का खातेदारात के मध्य हिस्सेनुसार मौके के कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्ड़ल नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुशरण में विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/- रूपये वादी पक्ष अदा करेगा। एतद्नुसार प्रारम्भिक डिकी पारित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, उदयपुर

उप खण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जि. उदयपुर